

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021

जयपुर, दिनांक: 129 JUL 2022

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

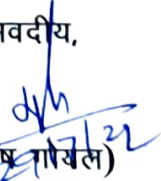
विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के मध्यनजर जनहित में राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट के संबंध में मार्गदर्शन।
संदर्भ :- आपका पत्रांक एफ()जेडीए/ओएसडी(आरएम)/2022-23/डी 2345 दिनांक 15.06.2022 (

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वांछित मार्गदर्शन के क्रम में लेख है कि विभागीय स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.22 के बिन्दु सं. 7 के अनुसार अभियान में अथवा दरें लागू होने से पूर्व मांग-पत्र के अनुसार राशि जमा नहीं हुई है अथवा उस मद में आंशिक राशि जमा हुई है तो अभियान में प्रभावी दरों के अनुसार पुनः मांगपत्र जारी कर राशि ली जा सकेगी/समायोजित की जा सकेगी। पूर्व दरों पर यदि नियमानुसार मांगपत्र जारी किया गया है एवं राशि जमा हो चुकी है तो राशि लौटाई नहीं जायेगी व ऐसे प्रकरणों को राशि हेतु खोला नहीं जायेगा।

अतः 90-बी के जिन प्रकरणों में नियमानुसार दिये गये मांग-पत्र अनुसार नियमन मद की सम्पूर्ण राशि जमा हो गई है किन्तु अन्य मदों की राशि जमा नहीं हुई है, तो स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु सं. 7 के अनुसार जिन मदों की राशि जमा नहीं हुई है, उनमें वर्तमान में अभियान अवधि में प्रभावी दरों से राशि लेकर पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जावे।

भवदीय,


(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम